

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-06/अ0-03-05/2020

पटना, दिनांक-

श्रीमती शर्मिका बाजपेयी, राज्य-कर उपायुक्त (अंकेक्षण) (56-59वीं बैच), दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-10.09.2024 से 22.12.2024 तक कुल 104 (एक सौ चार) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती बाजपेयी के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (157-104=53) (तिरेपन) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-06/अ0-03-05/2020

186

पटना, दिनांक- 14/01/2025

प्रतिलिपि:-वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा/राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती शर्मिका बाजपेयी, राज्य-कर उपायुक्त (अंकेक्षण) (56-59वीं बैच), दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

A बिहार, पटना।